

**न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO), मावली जिला उदयपुर (राज0)**  
**पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.**  
**पत्रावली संख्या : 07/21(प्रा0पत्र)**  
**GCMS No. : 2021/24**

**अनवान्**

1. श्री तेजराम पिता कना डांगी निवासी मन्देशर तहसील वल्लभनगर।
2. श्री डालु पिता कना डांगी निवासी मन्देशर तहसील वल्लभनगर।

.....प्रार्थीगण

**बनाम**

1. श्री कैलाशचन्द्र पिता उदा डांगी निवासी घणोली तहसील मावली।
2. श्री रमेशचन्द्र पिता उदा डांगी निवासी घणोली तहसील मावली।
3. श्री नोजा पिता कना डांगी निवासी घणोली तहसील मावली।
4. श्री रामलाल पिता कना डांगी निवासी मन्देशर तहसील वल्लभनगर।
5. श्री नारायण पिता उदा डांगी निवासी मन्देशर तहसील वल्लभनगर।
6. श्रीमती नोजी पत्नी वेणा डांगी निवासी मन्देशर तहसील वल्लभनगर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।
8. पटवारी, पटवार हल्का नामरी तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

**उपस्थित—1. श्री सुरेश चन्द्र डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।**

**2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2**

**3. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 से 5**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**  
**—: : निर्णय : :—**

**दिनांक : 09.04.2026**

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा घणोली तहसील मावली में आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में उदा पिता वरदा 2/15 हिस्सा, डालु पिता कना 2/15 हिस्सा, तेजराम पिता कना 2/15 हिस्सा, नोजा पिता कना 2/15 हिस्सा, रामलाल पिता कना 2/15 हिस्सा, वेणा पिता भग्गा 1/3 हिस्सा दर्ज हैं। इनमें से उदा पिता कना की मृत्यु हो गई है, जिसका वारिस

विपक्षी नम्बर 5 नारायण है। इसी तरह वेणा पिता भग्गा की भी मृत्यु हो गई है, जिसकी वारिस विपक्षी संख्या 6 श्रीमती नोजी हैं।

2. यह कि उक्त मूल आराजी नम्बर 1069 का रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा था, जो राजस्व रेकार्ड में उदा, नोजा, डालु, रामलाल, तेजराम पिता कना 1/2 हिस्सा, वेणा पिता भग्गा 1/4 हिस्सा, रमेशचन्द्र, कैलाशचन्द्र पिता उदा 1/4 हिस्सा दर्ज था व इसी हिस्से अनुसार सभी सहखातेदार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आये है। उदा पिता कना की मृत्यु बाद उदा के हिस्से पर उदा का वारिस विपक्षी नम्बर 5 नारायण काबिज चला आ रहा है व वेणा पिता भग्गा की मृत्यु के बाद वेणा के हिस्से पर वेणा की वारिस विपक्षी नम्बर 6 श्रीमती नोजी काबिज चली आ रहे हैं। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य उक्त आराजी का आज तक बंटवाडा नहीं हुआ है, संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। विपक्षी नम्बर 1, 2 के पिता उदा ने उक्त आराजी का बंटवाडा कराये बिना उक्त आराजी में से 8 बिस्वा भूमि राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 3 से 6 की बिना स्वीकृति के व बिना सूचना दिये छुपके-छुपके तारीख 02.06.1992 को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कन्वर्ट करा ली है व राजस्व रेकार्ड में भी अमल दरामद कर लिया, जिसके आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 8 बिस्वा हैं। इस संपरिवर्तन के आदेश की जानकारी होने पर विपक्षी रामलाल ने अपील जिला कलेक्टर उदयपुर के यहां तारीख 08.04.2019 को पेश की, जो विचाराधीन है, जिसके मुकदमा नम्बर 20/19 अपील हैं। उक्त आराजी के 8 बिस्वा भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होने के बाद आराजी नम्बर 1069 में से कुछ रकबा 4 लेन सडक में अवाप्त हो गया है, जिससे आराजी नम्बर 1069 का रकबा 0.2023 हेक्टेयर ही रह गया है। आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 हेक्टेयर ही रहा है जो प्रार्थीगण व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी का हैं।
3. यह कि आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 हेक्टेयर को वाणिज्यिक बताते हुए विपक्षी नम्बर 1, 2 ने राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, उपखण्ड अधिकारी मावली, तहसीलदार मावली, भारत संघ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन, भूमि अवाप्ति अधिकारी, रवि इन्फ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट प्रा. लि. के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सिविल न्यायाधीश, मावली में तारीख 15.03.2018 को प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है, जिसके मुकदमा नम्बर 29/18 ई.दी. है तथा साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है, जो आज भी कायम है जिसके मुकदमा नम्बर 12/18 मु.दी. हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 व आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 प्रार्थीगण व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की है व बंटवाडा नहीं हुआ है, बिना बंटवाडा के उक्त आराजी पर व उसके किसी भाग पर निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त आराजी कृषि भूमि है तथा कृषि भूमि को कन्वर्ट कराये बिना निर्माण कार्य कराने का कोई अधिकार नहीं है तथा किसी भी खातेदार को कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन करने का भी कोई अधिकार नहीं है।
5. यह कि विपक्षी नम्बर 1, 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी नम्बर 1069 से प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 3 से 6 को जबरन बेदखल करने की नियत से तारीख 08.01.2021 की रात्रि को जे.सी.बी. से नीचे खुदवा दी व इसका पता प्रार्थीगण को लगने पर प्रार्थीगण ने विपक्षी नम्बर 1, 2 को कहा कि आराजी नम्बर 1069 कृषि भूमि है व बंटवाडा नहीं हुआ है, ऐसी अवस्था में इस पर नीचे क्यु खुदवाई तो विपक्षी नम्बर 1, 2 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि मैं तुम्हे उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर अपनी ताकत के बल पर निर्माण कार्य कराउंगा और यदि रुकवाने की कोशिश करोंगे तो जान से खत्म कर देंगे। ऐसी अवस्था में विपक्षी नम्बर 1, 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाना आवश्यक है, वरना विपक्षी नम्बर 1, 2 अपनी ताकत के बल पर प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर देंगे व निर्माण कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी।
6. यह कि प्रार्थीगण का प्राइमाफेसी केस है व सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण के विरुद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि का सहखातेदारान के मध्य जब तक बंटवाडा नहीं हो जावे, तब तक विपक्षी नम्बर 1, 2 प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करे, हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग करने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें, शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने दें, न उक्त आराजी पर या उसके किसी भी हिस्से पर निर्माण कार्य नहीं करे, न कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करें, न किसी को विक्रय हस्तान्तरण करें, मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।
7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 6 की है जबकि आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0648 हेक्टेयर हम विपक्षीगण 1 व 2 की है।

उक्त भूमि का वाणिज्यिक संपरिवर्तन दिनांक 02.06.1992 को हो गया था। जमीनों के भाव बढ़ने से प्रार्थीगण एवं अन्य विपक्षीगण के मन में लोभ एवं लालच की भावना आने से उक्त प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश रामलाल बनाम रमेशचन्द्र का प्रार्थना पत्र पेश कर हम विपक्षी संख्या 1, 2 को परेशान करने की गरज से पेश किया है जो खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र से स्वयं प्रार्थीगण यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम विपक्षी संख्या 1 व 2 से चाहते क्या है। प्रार्थीगण द्वारा बड़ी चालाकी से घुमा फिरा कर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर वाणिज्यिक संपरिवर्तन सुदा आराजी नम्बर के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। हम विपक्षी संख्या 1 व 2 के आराजी नम्बर 1875/1069 पर शुरू से ही स्वामित्व एवं कब्जा हमारा ही रहा है, इस पर किंचित मात्र भी प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 से 6 का कब्जा नहीं रहा है।

8. यह कि हम विपक्षी संख्या 1 व 2 ने उक्त प्रार्थना पत्र सिविल कोर्ट में पेश कर रखा है चूंकि हम विपक्षीगण को बिना मुआवजा दिये ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा हमारी वाणिज्यिक संपरिवर्तन सुदा भूमि पर निर्माण कार्य को गिराकर रोड बनाना चाह रहे थे इसलिए न्यायालय को उचित लगने पर न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया जो आज भी कायम है। उक्त दावा आप न्यायालय के समक्ष चलने योग्य नहीं हैं एवं प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0648 हेक्टेयर भूमि को कृषि भूमि बताकर संयुक्त खातेदारी की भूमि बताना अपने आप में हास्यास्पद है चूंकि राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1875/1069 वाणिज्यिक संपरिवर्तन दर्ज होकर हम विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर लम्बे समय से दर्ज है एवं उक्त जमीन पर हम अपने पिता के समय से विरासत से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं उक्त जमीन पर पिता द्वारा होटल का निर्माण कराया गया था जिस पर सिर्फ हमारा ही कब्जा होकर हक अधिकार रहा है। प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण ने बड़ी चालाकी से उक्त आराजी नम्बर को हड़पने की नियत से यह दावा पेश किया है जो खारिज होने योग्य हैं।
9. यह कि विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर पर हम विपक्षीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है। प्रार्थीगण एवं अन्य विपक्षीगण द्वारा हम विपक्षी संख्या 1 व 2 को ताकत व प्रशासन के बल पर उक्त मिथ्या दावों की आड में हमें हमारी जमीन से महरूम करने का कुप्रयास किया जा रहा है। प्रार्थीगण एवं अन्य विपक्षीगण द्वारा मिलकर पूर्व में भी एक मिथ्या दावा रामलाल बनाम रमेशचन्द्र का पेश कर न्यायालय को गुमराह कर आराजी नम्बर 1875/1069 पर भी स्थगन प्राप्त किया था बाद तामील हम विपक्षीगण द्वारा उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष सही तथ्य लाने पर उक्त स्थगन न्यायालय द्वारा हटाया गया

था एवं तहसीलदार मावली द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक को सीमा जानकारी करने हेतु मौके पर भेजा गया था जिस पर आईएलआर डबोक एवं पटवारी हल्का डबोक ने मौके पर सीमाज्ञान कर निशानात लगाये थे जिसकी रिपोर्ट भी तहसीलदार मावली को पेश की थी। प्रार्थी एवं अन्य विपक्षीगण मिलकर आए दिन लडाईं झगडा करते है एवं झूठे दावे, परिवाद, रिपोर्ट न्यायालय एवं पुलिस के समक्ष पेश कर हम दोनों भाईयों को परेशान करते हैं। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्र.) उदयपुर द्वारा तहसीलदार मावली से आराजी नम्बर 1069 व 1875/1069 के संदर्भ में रिपोर्ट चाही थी जिसमें तहसीलदार मावली द्वारा स्वयं यह बताया गया कि आराजी नम्बर 1069 के खातेदार उदा, नोजा, डालु, रामलाल, तेजराम पिता कना डांगी 2/3 हि.ब. वेणा पिता भगा 1/3 निवासी मंदेशर के नाम दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर पडत होकर निर्माण रहित है। आराजी नम्बर 1069 में से 0.0972 भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बेडच पुलिया के निर्माण हेतु 1996-97 में अवाप्त की गई जिसमें उक्त खातेदारान द्वारा न्यायालय भूमि अर्जन अधिकारी लोक निर्माण विभाग, उदयपुर द्वारा दिनांक 30.11.1995 को अवाप्ति के सम्बन्ध में अवार्ड जारी किया गया। जिसमें उक्त खातेदारों को 0.0972 हेक्टेयर भूमि की अवार्ड राशि जारी कर भुगतान कर जारी कर दी गई। जिसे उक्त खातेदारान द्वारा प्राप्त कर ली गई। उक्त खातेदारान द्वारा राजस्व अधिकारियों को भ्रम में रखकर षडयन्त्र पूर्वक पूर्व में अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के पश्चात् भी प्रश्नगत भूमि के खातेदार बने हुए है, जबकि इनका सन् 1997 में अवाप्तशुदा भूमि पर यानि 0.0972 हेक्टेयर हिस्से पर किसी प्रकार का कोई खातेदारी हित व अधिकार नहीं रहा है। विधि व नियमों के अन्तर्गत उक्त खातेदारान की यह भूमि राजस्व अभिलेखों में से कम कराई जानी न्यायहित में आवश्यक है। उक्त रिपोर्ट तहसीलदार मावली द्वारा दिनांक 18.12.2019 को भूमि अवाप्ति अधिकारी उदयपुर को भेजी गई थी इसके पश्चात् स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर सीमाज्ञान नहीं होने का एवं आए दिन विवाद होने का कथन करना सही नहीं है। प्रार्थीगण एवं अन्य विपक्षीगण राजनैतिक रसुखात एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जो हम दोनों भाईयों की जमीन को हडपना चाहते है। प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है चूंकि आराजी नम्बर 1069 से हम विपक्षी संख्या 1 व 2 का कोई सरोकार नहीं है बल्कि हम विपक्षी संख्या 1 व 2 की जमीन 1875/1069 है जिस पर हम काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं हमें हमारी वाणिज्यिक संपरिवर्तन शुदा भूमि पर रोका गया तो भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयें पैसों में किया जाना असंभव होगा।

10. यह कि हम विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा हमारी जमीन पर पुनः निर्माण दिनांक 08.01.21 से पूर्व ही शुरू कर दिया था इसलिए हमारे विरुद्ध कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। जमीन मौजा घणोली में स्थित है लेकिन आराजी नम्बर 1875/1069 वाणिज्यिक संपरिवर्तन होने से आप न्यायालय के श्रवणाधिकार की न होने से उक्त दावा खारिज होने योग्य है एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में भी बडी चालाकी से केवल मात्र यह अंकित कर दिया कि उक्त आराजी मौजा घणोली में स्थित होने से न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की हैं। हम विपक्षी संख्या 1 व 2 का आराजी नम्बर 1069 में न ही राजस्व रिकॉर्ड में नाम है न ही हमारा उक्त आराजी पर इंच मात्र भी कब्जा है। प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा कराने का कथन अपने आप में मिथ्या होकर न्यायालय को भ्रमित करने का है जो सव्यय खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण बडी चालाकी से मिथ्या कथनों की आड में हम विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध जो दाद चाही गई है वो प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।
11. यह कि रिपोर्ट तहसीलदार मावली द्वारा दिनांक 18.12.2019 को भूमि अवाप्ति अधिकारी उदयपुर को भेजी गई थी इसके पश्चात् स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर सीमाज्ञान नहीं होने का एवं आए दिन विवाद होने का कथन करना सही नहीं है। प्रार्थीगण एवं अन्य विपक्षीगण राजनैतिक रसुखात एवं प्रभावशाली व्यक्ति है जो हम दोनों भाईयों की जमीन को हडपना चाहते है। प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं। चूंकि आराजी नम्बर 1069 से हम विपक्षी संख्या 1 व 2 का कोई सरोकार नहीं है बल्कि हम विपक्षी संख्या 1 व 2 की जमीन 1875/1069 है जिस पर हम काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है एवं हमें हमारी वाणिज्यिक संपरिवर्तन शुदा भूमि पर रोका गया तो भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति रूपये पैसों में किया जाना असंभव होगा। हम विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा हमारी जमीन पर पुनः निर्माण दिनांक 08.01.2021 से पूर्व ही शुरू कर दिया था इसलिए हमारे विरुद्ध कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। जमीन मौजा घणोली में स्थित है लेकिन आराजी नम्बर 1875/1069 वाणिज्यिक संपरिवर्तन होने से आप न्यायालय के श्रवणाधिकार की न होने से उक्त दावा खारिज होने योग्य हैं एवं प्रार्थी द्वारा बडी चालाकी से केवल मात्र यह अंकित कर दिया कि उक्त आराजी मौजा घणोली में स्थित होने से न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की हैं। हम विपक्षी संख्या 1 व 2 का आराजी नम्बर 1069 में न ही राजस्व रिकॉर्ड में नाम है न ही हमारा उक्त आराजी पर इंच मात्र भी कब्जा है प्रार्थीगण द्वारा बंटवाडा कराने का कथन अपने आप में मिथ्या होकर न्यायालय को भ्रमित करने का है जो सव्यय खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थीगण बडी चालाकी से उक्त मिथ्या

कथनों की आड में हम विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध जो दाद चाही गई है वो प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

12. **विशेष कथन** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा दावा धारा 188 के अन्तर्गत किया है एवं प्रार्थना 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अर्थात् बंटवाडे की मांगी है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र से स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि का बंटवाडा चाहा हैं। उक्त आराजी नम्बर में हम विपक्षी संख्या 1 व 2 का ना तो कोई हक व हिस्सा निहित है न ही राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हम विपक्षीगण के नाम उक्त आराजी में दर्ज हैं इसलिए हमारे विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता हैं। प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0648 हेक्टेयर के सम्बन्ध में दावा किया है एवं उक्त आराजी का बंटवाडा नहीं होना एवं किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का अधिकार नहीं होना प्रार्थना पत्र में किया है जबकि आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 8 बिस्वा/0.0648 हेक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वाणिज्यिक संपरिवर्तन दर्ज हैं। उक्त आराजी के सम्बन्ध में आप न्यायालय से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं ली जा सकती है न ही इस आराजी के सन्दर्भ में आप न्यायालय के समक्ष कोई मुकदमा ही किया जा सकता हैं।

13. यह कि प्रार्थना पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित हो अर्थात् आप न्यायालय में नहीं चल सकता हो तो प्रार्थना पत्र को प्रारम्भिक स्तर पर ही बिना दर्ज किये ही न्यायालय को खारिज कर देना चाहिए। उक्त प्रार्थना पत्र के तथ्यों से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 1875/1069 किस्म वाणिज्यिक संपरिवर्तन के संदर्भ में दाद चाही है। इस आधार पर उक्त वाद मय हर्जा खर्चा खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बडी चालाकी से तथ्यों को मोड तोड कर आराजी नम्बर 1875/1069 के संदर्भ में दाद चाही गई है जबकि उक्त आराजी नम्बर दिनांक 02.06.1992 को विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता एवं तत्कालीन खातेदारों ने मिलकर बंटवाडा करा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पिता उदाजी के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करा वाणिज्यिक संपरिवर्तन करवाया था जिस पर उदाजी के जीवनकाल में उदा जी एवं विरासत से हम विपक्षी संख्या 1 व 2 काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण एवं विपक्षी के नियत में फितुर आ जाने से विपक्षी संख्या 1 व 2 को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त दावा किया है जो खारिज होने योग्य है एवं इससे पूर्व भी विपक्षीगण द्वारा एक दावा आप न्यायालय में (रामलाल द्वारा) किया जो विचाराधीन हैं। अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील मावली में खसरा संख्या 1069 रकबा 0.2023

हेक्टेयर भूमि में उदा, नोजा, डालु, रामलाल, तेजराम पिता कना के 2/3 हिस्से एवं वेणा पिता भगा के 1/3 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में से 0.0972 हेक्टेयर भूमि को कम कर अंकित कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

14. **विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया** कि मौजा घणोली तहसील मावली में आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि स्थित हैं जो राजस्व रेकार्ड में उदा पिता कना 2/15 हिस्सा, डालु पिता कना का 2/15 हिस्सा, तेजराम पिता कना का 2/15 हिस्सा, नोजा पिता कना का 2/15 हिस्सा, रामलाल पिता कना का 2/15 हिस्सा, वेणा पिता भगा का 1/3 हिस्सा दर्ज होना स्वीकार हैं। उदा पिता कना का वारिस नारायण है तथा वेणा की वारिस विपक्षी नम्बर 6 नोजी हैं। मूल आराजी नम्बर 1069 का रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा था, जो राजस्व रेकार्ड में उदा, नोजा, डालु, रामलाल, तेजराम पिता कना 1/2 हिस्सा, वेणा पिता भगा 1/4 हिस्सा, रमेशचन्द्र, कैलाशचन्द्र पिता उदा 1/4 हिस्सा दर्ज था व इसी हिस्से अनुसार सभी सहखातेदार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आये है। उदा पिता कना की मृत्यु बाद उदा के हिस्से पर उदा का वारिस विपक्षी नम्बर 5 नारायण काबिज चला आ रहा हैं व वेणा पिता भगा की मृत्यु के बाद वेणा के हिस्से पर वेणा की वारिस विपक्षी नम्बर 6 श्रीमती नोजी काबिज चली आ रही है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य उक्त आराजी का आज तक बंटवाडा नहीं हुआ हैं, संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। विपक्षी नम्बर 1, 2 के पिता उदा ने उक्त आराजी का बंटवाडा कराये बिना उक्त आराजी में से 8 बिस्वा भूमि राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 3 से 6 की बिना स्वीकृति के व बिना सूचना दिये छुपके-छुपके तारीख 02.06.1992 को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कन्वर्ट करा ली है व राजस्व रेकार्ड में भी अमल दरामद कर लिया, जिसके आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 8 बिस्वा हैं। इस संपरिवर्तन के आदेश की जानकारी होने पर मुझ विपक्षी रामलाल ने अपील जिला कलेक्टर उदयपुर के यहां तारीख 08.04.2019 को पेश की, जो विचाराधीन है, जिसके मुकदमा नम्बर 20/19 अपील हैं। उक्त आराजी के 8 बिस्वा भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होने के बाद आराजी नम्बर 1069 में से कुछ रकबा 4 लेन सडक में अवाप्त हो गया है, जिससे आराजी नम्बर 1069 का रकबा 0.2023 हेक्टेयर ही रह गया हैं। आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 हेक्टेयर ही रहा है जो प्रार्थीगण व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी का हैं।
15. यह कि आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 हेक्टेयर को वाणिज्यिक बताते हुए विपक्षी नम्बर 1, 2 ने राजस्थान राज्य आदि के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र

सिविल न्यायाधीश मावली में तारीख 15.03.2018 को प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है, जिसके मुकदमा नम्बर 29/18 ई.दी. है तथा साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर यथास्थिति रखने का आदेश दिया गया है, जो आज भी कायम है, जिसके मुकदमा नम्बर 12/18 मु.दी. हैं। आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 व आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 प्रार्थीगण व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की है व बंटवाडा नहीं हुआ है, बिना बंटवाडा के उक्त आराजी पर व उसके किसी भाग पर निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

16. यह कि विपक्षी नम्बर 1, 2 ने आराजी नम्बर 1069 से प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 3 से 5 को जबरन बेदखल करने की नियत से तारीख 08.01.2021 की रात्रि को जे.सी.बी. से नीचे खुदवा दी व इसका पता प्रार्थीगण को लगने पर प्रार्थीगण ने विपक्षी नम्बर 1, 2 को कहा कि आराजी नम्बर 1069 कृषि भूमि है व बंटवाडा नहीं हुआ है, ऐसी अवस्था में इस पर नीचे क्यु खुदवाई तो विपक्षी नम्बर 1, 2 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि मैं तुम्हे उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर अपनी ताकत के बल पर निर्माण कार्य कराउंगा और यदि रुकवाने की कोशिश करोगे तो जान से खत्म कर देंगे। ऐसी अवस्था में विपक्षी नम्बर 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है, वरना विपक्षी नम्बर 1, 2 अपनी ताकत के बल पर प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 3 से 5 को जबरन बेदखल कर देंगे व निर्माण कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर देंगे जिससे प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 3 से 5 को भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विपक्षी नम्बर 1, 2 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने व पाबंद कराने में मुझ विपक्षी को कोई आपत्ति नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ विपक्षी के जवाब अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी नम्बर 1, 2 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा माफिक प्रार्थना पत्र जारी फरमाई जावें।

17. **विपक्षी संख्या 3 व 5 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया** कि मौजा घणोली तहसील मावली में स्थित आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में उदा पिता कना का 2/15 हिस्सा, डालु पिता कना का 2/15 हिस्सा, तेजराम पिता कना का 2/15 हिस्सा, नोजा पिता कना का 2/15 हिस्सा, रामलाल पिता कना का 2/15 हिस्सा, वेणा पिता भगा का 1/3 हिस्सा दर्ज होना स्वीकार है तथा उदा पिता कना की मृत्यु होना व उसका वारिस विपक्षी नम्बर 5 होना स्वीकार है तथा इसी तरह वेणा की मृत्यु हो जाना व उसके वारिस विपक्षी नम्बर 6 होना स्वीकार हैं। मूल आराजी नम्बर 1069 का रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा था जो राजस्व रेकार्ड में उदा, नोजा, डालु, रामलाल,

तेजराम पिता कना 1/2 हिस्सा, वेणा पिता भग्गा 1/4 हिस्सा, रमेशचन्द्र, कैलाशचन्द्र पिता उदा 1/4 हिस्सा दर्ज था व इसी हिस्से अनुसार सभी सहखातेदार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आये हैं। उदा पिता कना की मृत्यु के बाद उदा के हिस्से पर उदा का वारिस विपक्षी नम्बर 5 नारायण काबिज चला आ रहा है व वेणा पिता भग्गा की मृत्यु के बाद वेणा के हिस्से पर वेणा की वारिस विपक्षी नम्बर 6 श्रीमती नोजी काबिज चली आ रही हैं। प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य उक्त आराजी का आज तक बंटवाडा नहीं हुआ है, संयुक्त रूप से हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे है। विपक्षी नम्बर 1, 2 के पिता उदा ने उक्त आराजी का बंटवाडा कराये बिना उक्त आराजी में से 8 बिस्वा भूमि राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 3 से 6 की बिना स्वीकृति के व बिना सूचना दिये छुपके-छुपके तारीख 02.06.1992 को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कन्वर्ट करा ली है व राजस्व रेकार्ड में भी अमल दरामद कर लिया, जिसके आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 8 बिस्वा हैं। इस संपरिवर्तन के आदेश की जानकारी होने पर विपक्षी रामलाल ने अपील जिला कलेक्टर उदयपुर के यहां तारीख 08.04.2019 को पेश की, जो विचाराधीन है, जिसके मुकदमा नम्बर 20/19 अपील हैं। उक्त आराजी के 8 बिस्वा भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होने के बाद आराजी नम्बर 1069 में से कुछ रकबा 4 लेन सडक में अवाप्त हो गया है, जिससे आराजी नम्बर 1069 का रकबा 0.2023 हेक्टेयर ही रह गया है। आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 हेक्टेयर ही रहा है जो प्रार्थीगण व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी का हैं।

18. यह कि आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 हेक्टेयर को वाणिज्यिक बताते हुए विपक्षी नम्बर 1, 2 ने राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उपखण्ड अधिकारी मावली, तहसीलदार मावली, भारत संघ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन, भूमि अवाप्ति अधिकारी, रवि इन्फ्रा बिल्ड प्रोजेक्ट प्रा. लि. के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सिविल न्यायाधीश मावली में तारीख 15.03.2018 को प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है जिसके मुकदमा नम्बर 29/18 ई.दी. है तथा साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है, जो आज भी कायम है, जिसके मुकदमा नम्बर 12/18 मु.दी. हैं। आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 व आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 प्रार्थीगण व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की है व बंटवाडा नहीं हुआ है, बिना बंटवाडा के उक्त आराजी पर व उसके किसी भाग पर निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त आराजी कृषि भूमि है तथा कृषि

भूमि को कन्वर्ट कराये बिना निर्माण कार्य कराने का कोई अधिकार नहीं है तथा किसी भी खातेदार को कृषि भूमि की किस्म परिवर्तन करने का भी कोई अधिकार नहीं है।

19. यह कि विपक्षी नम्बर 1, 2 आराजी नम्बर 1069 से प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 3 से 5 को जबरन बेदखल करने की नियत से तारीख 08.01.2021 की रात्रि को जे.सी.बी. से नीचे खुदवा दी व इसका पता प्रार्थीगण को लगने पर प्रार्थीगण ने विपक्षी नम्बर 1, 2 को कहा कि आराजी नम्बर 1069 कृषि भूमि है व बंटवाडा नहीं हुआ है, ऐसी अवस्था में इस पर नीचे क्यु खुदवाई तो विपक्षी नम्बर 1, 2 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि मैं तुम्हे उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर अपनी ताकत के बल पर निर्माण कार्य कराउंगा और यदि रुकवाने की कोशिश करोगे तो जान से खत्म कर देंगे। ऐसी अवस्था में विपक्षी नम्बर 1, 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाना आवश्यक है वरना विपक्षी नम्बर 1, 2 अपनी ताकत के बल पर प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 3 से 5 को जबरन बेदखल कर देंगे व निर्माण कार्य कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर देंगे जिससे प्रार्थीगण व विपक्षी नम्बर 3 से 5 को भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण के जवाब अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व विपक्षी नम्बर 1, 2 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा माफिक प्रार्थना पत्र जारी फरमाई जावें।

20. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 से 5 द्वारा अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।

21. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :-

1. प्रथम दृष्टया मामला— प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3, 4 तथा विपक्षी संख्या 5, 6 के मौरूस के नाम एवं आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 हेक्टेयर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण

का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि थी जिसमें पक्षकारान के मध्य बंटवाडा नहीं हुआ था फिर भी संयुक्त खातेदारी की भूमि में से विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता उदा ने उक्त आराजी में से 8 बिस्वा भूमि का दिनांक 02.06.1992 को संपरिवर्तन करा ली इसलिए जब तक बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। उक्त कथन के सन्दर्भ में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तत्कालीन समय में सहखातेदारी की भूमि का संपरिवर्तन हो सकता था अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त तथ्य को प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करा सके।

विपक्षी संख्या 1, 2 का कथन है कि प्रार्थी आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि का बंटवाडा चाहता है जबकि उक्त आराजी में हम विपक्षी संख्या 1, 2 का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है एवं आराजी नम्बर 1875/1069 वाणिज्यिक संपरिवर्तन होने से उक्त आराजी का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा का नहीं होना बताया। उक्त कथन के सन्दर्भ में न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उभय पक्षकारान के मध्य विवाद एक दूसरे की सीमा में दखलन्दाजी करने सम्बन्धी हैं। वादग्रस्त आराजी नम्बर 1069 कृषि भूमि होने से कृषि भूमि से सम्बन्धित विवाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उभय पक्षकारान मौके पर अपने-अपने कब्जे अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा भी आराजी नम्बर 1875/1069 पर पक्का निर्माण होना बताकर उसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। आराजी नम्बर 1069 एवं 1875/1069 राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शों में अलग-अलग दर्ज हैं तथा मौके पर भी अलग-अलग उपयोग उपभोग की जा रही है। प्रार्थीगण, विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाह रहे हैं जबकि विपक्षी संख्या 1, 2 अपने नाम दर्ज भूमि 1875/1069 पर काबिज होना बता रहे हैं। साथ ही पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज मौका पर्चा भू अभिलेख निरीक्षक डबोक के अवलोकन से जाहिर होता है कि उभय पक्षकारान के मध्य पूर्व में भी सीमा को लेकर विवाद था जिस कारण तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 15.04.2018 को आराजी नम्बर 1875/1069 का पश्चिमी भाग जो आराजी नम्बर 1069 में मिला हुआ है उसकी सीमा पर निशान लगाये थे अर्थात् मौके पर निशानात होकर अपने-अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होने से उभय पक्षकारान को एक दूसरे की भूमि में प्रवेश नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि मौके पर विवाद नहीं बढ़े। साथ ही न्यायालय का यह भी मानना है कि वादग्रस्त

आराजी नम्बर 1069 में विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता का नाम भी दर्ज होना प्रतित होता है ऐसे में विपक्षी संख्या 1, 2 को अपने पिता की कब्जे काश्त भूमि में जाने के लिए पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन— प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3, 4 तथा विपक्षी संख्या 5, 6 के मौरूस के नाम एवं आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 हेक्टेयर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण, विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहते हैं परन्तु उभय पक्षकारान अपने-अपने हिस्से भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं ऐसे में यदि विपक्षी संख्या 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी संख्या 1, 2 अपनी भूमि का उपयोग उपभोग, विकास नहीं कर पायेंगे तथा विपक्षी संख्या 1, 2 को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। न्यायालय का यह भी अभिमत है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य मूलतया: सीमा को लेकर विवाद होना प्रतीत होता है। इसलिए उभय पक्षकारान को एक दूसरे की भूमि में प्रवेश करने से रोका नहीं जाता है तो इससे मौके पर सीमा सम्बन्धी विवाद बढ़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होता है। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. अपूरणीय क्षति का बिन्दु— वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3, 4 तथा विपक्षी संख्या 5, 6 के मौरूस के नाम एवं आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 हेक्टेयर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। न्यायालय का यह अभिमत है कि पक्षकारान के मध्य मौके पर सीमा सम्बन्धी विवाद है इसलिए यदि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे दूसरे पक्ष के साथ कुठाराघात होगा तथा खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये जाने से उक्त बिन्दु भी उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु उभय पक्षकारान के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण

का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## **—: आदेश :—**

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 35 पर दर्ज आराजी नम्बर 1069 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1, 2 एवं खाता संख्या 480 पर दर्ज आराजी नम्बर 1875/1069 रकबा 0.0647 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 3 से 6 प्रवेश नहीं करे। लेकिन आराजी नम्बर 1069 में अपने पिता के कब्जे काश्त भूमि में विपक्षी संख्या 1, 2 जाने के लिए स्वतंत्र है। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)**  
सहायक कलक्टर  
**(SDO) मावली**